न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/17/2023 रजू दिनांकः 23.01.2023 रजि0 न0 2023/34

अपीलार्थीः–

श्री हरद्वारी लाल, निवासी ई–30, भूतल प्रीत विहार दिल्ली–92

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास,जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 27.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 14.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब के अभाव में एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर को निर्देशित किया जाता है, की सूचना के अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रथम आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, की यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना निशुल्क उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)